

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/अजमेर/अलेसे-II/ 765

दिनांक :- 05.09.2023

आदेश संख्या:- 47/2023-24.

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ. 14(88) एफ.डी./रुल्स/2008 दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-मैट्रिक्स के लेवल एल-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं. लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/ समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हरफूल रेवाड़	161/1994 4326	19.02.1996	19.02.2023	

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/अजमेर/अलेसे-II/ 765

दिनांक:- 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
5. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/जोध./अलेसे-II/ 766

दिनांक :- 05.09.2023

आदेश संख्या:- 48/2023-24.

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ. 14(88) एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-मैट्रिक्स के लेवल एल-13 में स्वीकृत की जाती है।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं. लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/ समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पारसमल परिहार	121 / 1994 2656	19.02.1996	19.02.2023	
2.	योगेन्द्र व्यास	391 / 1994 6122	23.03.1996	23.03.2023	

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
 3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/जोध./अलेसे-II/ 766

दिनांक:- 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
5. रक्षित/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/जयपुर/अलेसे-11/767

दिनांक :- 05.09.2023

आदेश संख्या:- 49/2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ. 14(88) एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वसित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-मैट्रिक्स के लेवल एल-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं. लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संजय कुमार गुप्ता	DGS 5931	18.05.1996	18.05.2023	9 वर्ष की ए.पी.ए.आर. जाँच के आधार पर देय
2.	मुकेश कुमार पंचोली	221/1990 2381	21.06.1993	21.06.2020	
3.	कृष्ण कान्त शर्मा	DGS 2762	02.07.1996	02.07.2023	9 वर्ष की ए.पी.ए.आर. जाँच के आधार पर देय

उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 3 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वसित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 2. पूर्व में तृतीय आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
 3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 05.09.2023

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/जयपुर/अलेसे-11/767

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)/एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1 व 3 पर अंकित कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11
6. रक्षित/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11/111)